भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *199

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

सी-पेस की दक्षता

***199. श्री शशांक मणि:**

श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सी-पेस की प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन करने के लिए निगरानी तंत्र लागू किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रोसेसिंग समय में सुधार का मुल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी बेंचमार्क या मेट्रिक्स तथा इस सिस्टम की दक्षता के बारे में कंपनियों से प्राप्त फीडबैक सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

जारी......2/-

दिनांक 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *199 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कारपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनियों की स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ की प्रक्रिया को फास्ट-ट्रैक मोड में केंद्रीकृत और तीव्र करने के लिए की गई थी ताकि भारत में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को सुकर बनाया जा सके। इसके बाद, मंत्रालय ने सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37 के साथ पठित सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 75 के तहत एलएलपी को स्ट्राइक ऑफ करने से संबंधित ई-प्ररूप को संसाधित करने के लिए सी-पेस को सशक्त बनाकर सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को स्ट्राइक ऑफ और करने का केंद्रीकृत किया है।

इसकी स्थापना के बाद से, वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरओसी सी-पेस के माध्यम से 13,560 कंपनियों और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 नवंबर, 2024 तक 11,855 कंपनियों को स्ट्राइक ऑफ दिया गया है। ऐसे आवेदनों को संसाधित करने में लगने वाला औसत समय घटकर 70-90 दिनों के मध्य हो गया है। जहां तक एलएलपी का संबंध है, 15 नवंबर, 2024 की स्थिति को 3,264 एलएलपी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है।

सी-पेस के अंतर्गत कंपनियों की स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ प्रक्रिया के केन्द्रीकरण के बाद प्रक्रियाओं का मानकीकरण किया गया है जिससे प्रणाली में पारदर्शिता के साथ-साथ प्रसंस्करण समय कम हुआ है। मंत्रालय द्वारा सी-पेस के कार्यप्रणाली की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।

******